एलआईसी का न्यू चिल्ड्रेन्स मनी बैक प्लान

सेल्स ब्रोशर

एलआईसी का न्यू चिल्ड्रेन्स मनी बैक प्लान
(यूआईएन: 512N296V03)
(एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत योजना)

एलआईसी का न्यू चिल्ड्रेन्स मनी बैक प्लान एक सहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना है। यह योजना विद्यमानता हितलाभों के ज़रिए बढ़ते बच्चों की शिक्षा, विवाह तथा अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। साथ ही, यह योजना पॉलिसी अवधि के दौरान बच्चे के जीवन पर जोखिम संरक्षण प्रदान करता है तथा विनिर्धारित अवधियों की समाप्ति पर जीवित रहने पर कई बार विद्यमानता हितलाभ प्रदान करता है।

इस योजना को 0 से 12 वर्ष के उम्र के बच्चे के लिए उसके माता/पिता या दादा-दादी/नाना-नानी द्वारा खरीदा जा सकता है।

यह योजना लाइसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, दलालों और बीमा विपणन फर्मों के माध्यम से ऑफ़लाइन खरीदी जा सकती है।

संभावित पॉलिसीधारकों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि खरीदारी का कोई निर्णय लेते समय जानकारी पूर्ण निर्णय लेने के लिए समान प्रकार के उपलब्ध प्रोडक्ट्स का संदर्भ दिया जा सकता है, ताकि वे अपनी जरूरतों के अनुसार जैसे कि एन्युटीज़, यूलिप्स आदि के अंतर्गत अपने लिए सबसे उपयुक्त विकल्पों/प्रोडक्ट का चयन कर सकें।

मुख्य विशेषताएँ:

- यह योजना सुरक्षा और बचत प्रदान करती है।
- लचीलापन
  - सुविधा अनुसार प्रीमियम भुगतान की आवृत्ति का चयन।
  - ज़रूरतों के अनुसार विद्यमानता हितलाभों को स्थगित करना
  - किस्तों में मृत्यु/परिपक्वता हितलाभों के भुगतान का विकल्प चुनना।
- राइडर भुगतानों के लिए अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर प्रीमियम छूट बेनिफिट राइडर चुनने का विकल्प।
- आकर्षक उच्च बीमा राशि छूट का लाभ।
- ऋण सुविधा के माध्यम से तरलता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति।

1. पात्रता की शर्तें तथा अन्य प्रतिबंध:

ए)	प्रवेश के समय न्यूनतम उम्र	: [0] वर्ष (पिछला जन्मदिन)
बी)	प्रवेश के समय अधिकतम उम्र	: [12] वर्ष (पिछला जन्मदिन)
सी)	न्यूनतम परिपक्वता उम्र	: [25] वर्ष (पिछला जन्मदिन)
डी)	अधिकतम परिपक्वता उम्र	: [25] वर्ष (पिछला जन्मदिन)
ई)	न्यूनतम प्रीमियम भुगतान अवधि	: पॉलिसी अवधि के समान
एफ)	अधिकतम प्रीमियम भुगतान अवधि	: पॉलिसी अवधि के समान
जी)	न्यूनतम पॉलिसी अवधि	: [25-प्रवेश पर उम्र] वर्ष
एच)	अधिकतम पॉलिसी अवधि	: [25-प्रवेश पर उम्र] वर्ष
आई)	न्यूनतम मूल बीमा राशि	: ₹200,000
जे)	अधिकतम मूल बीमा राशि	: कोई सीमा नहीं

(मूल बीमा राशि नीचे उल्लेख की गई राशियों के गुणकों में होगी):

मूल बीमा राशि सीमा	**बीमा राशि गुणक**
₹2,00,000/- से ₹4,50,000/- तक	₹5,000/-
₹4,50,000/- से अधिक से ₹9,00,000/- तक	₹50,000/-
₹9,00,000/ से अधिक	₹1,00,000/-

प्लान के अंतर्गत जोखिम शुरू होने की तिथि:

यदि बीमित व्यक्ति की प्रवेश के समय आयु 8 वर्ष (पिछला जन्मदिन) से कम है, तो इस योजना के अंतर्गत जोखिम या तो पॉलिसी शुरू होने की तिथि से 2 वर्ष या 8 वर्ष की आयु पूरी होने के साथ या उसके तुरंत बाद आने वाली पॉलिसी वर्षगांठ से शुरू होगा, जो भी पहले हो। प्रवेश के समय 8 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए, जोखिम पॉलिसी जारी होने की तिथि से तुरंत शुरू हो जाएगा।

प्लान के अंतर्गत जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि:

अगर पॉलिसी किसी अवयस्क के जीवन पर जारी की गई है तो उसके 18 वर्ष की उम्र पूरे करने के साथ मेल खाने वाली या तुरंत उसके बाद के पॉलिसी वर्षगांठ पर पॉलिसी अपने आप बीमित जीवन पर निहित हो जाएगी और उसे निगम तथा बीमित व्यक्ति के बीच संविदा माना जाएगा।

2. हितलाभ:

ए. मृत्यु हितलाभ:

जोखिम के आरंभ होने की तिथि के बाद पॉलिसी अवधि के दौरान, लेकिन परिपक्वता की तिथि से पहले, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो, **"मृत्यु पर बीमा राशि"** के साथ निहित प्रत्यावर्ती बोनसों तथा अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, के समान होगी,

जहां **"मृत्यु पर बीमा राशि"** को मूल बीमा राशि या वार्षिकीकृत प्रीमियम के 7 गुना में से जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित किया गया है।

यह मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा।

जहां,

i. **"वार्षिक प्रीमियम"** पॉलिसीधारक द्वारा चयनित किसी वर्ष में देय प्रीमियम राशि है, जिसमें कर, राइडर प्रीमियमें, जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियमें और मॉडल प्रीमियमों के लिए लोडिंग, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं।

ii. **"कुल भुगतान किया गया प्रीमियम"** का अर्थ है मूल उत्पाद के अंतर्गत भुगतान किए गया सभी प्रीमियमों का योग, जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम और कर शामिल नहीं है, यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया हो। यदि एलआईसी के प्रीमियम छूट हितलाभ राइडर का विकल्प चुना जाता है, तो प्रस्तावक की मृत्यु की स्थिति में, किसी भी आगामी प्रीमियम जो माफ की जाती है, उसे प्राप्त माना जाएगा और उसे कुल भुगतान किए गए प्रीमियम में शामिल किया जाएगा।

लेकिन, अवयस्क बीमित व्यक्ति के मामले में, जहां प्रवेश के समय उम्र 8 वर्ष से कम है, जोखिम के आरंभ होने से पहले मृत्यु होने पर (जैसा कि ऊपर अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है), देय मृत्यु हितलाभ अदा किए गए कुल प्रीमियमों (कर, अतिरिक्त प्रीमियम तथा राइडर प्रीमियम्स, यदि कोई हो) की कुल राशि को लौटाए जाने के समान होगी।

बी. विद्यमानता हितलाभ:

बीमित व्यक्ति के क्रमशः 18 वर्ष, 20 वर्ष तथा 22 वर्ष के पूरे होने पर आने वाली वर्षगांठों या तुरंत उसके पश्चात पर प्रत्येक अवसर पर मूल बीमा राशि का 20% देय होगा, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो।

सी. परिपक्वता हितलाभ:

पॉलिसी अवधि पूर्ण होने तक जीवन बीमित व्यक्ति के उत्तरजीवित रहने पर, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो, **"परिपक्वता पर बीमाकृत राशि"**, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस एवं अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो, के साथ देय होगी। जहाँ परिपक्वता पर बीमाकृत राशि मूल बीमाकृत राशि के 40% के बराबर है।

डी. लाभ में प्रतिभागिता:

पॉलिसी निगम के लाभ में प्रतिभागिता करेगी तथा पॉलिसी अवधि के दौरान निगम के अनुभव के अनुसार घोषित सरल प्रत्यावर्ती बोनस पाने की हकदार होगी, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो।

अगर प्रीमियमों का विधिवत भुगतान नहीं किया जाता है तो पॉलिसी भविष्य के लाभ में प्रतिभागिता नहीं कर पाएगी, चाहे पॉलिसी ने चुकता मूल्य प्राप्त कर लिया हो या नहीं।

सरल प्रत्यावर्ती बोनसों की घोषणा वार्षिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाएगी। एक बार घोषणा किए जाने पर वे प्लान की उन अवधियों पर निगम द्वारा घोषित नियमों तथा शर्तों के अनुसार निश्चित हितलाभों का हिस्सा होंगे।

पॉलिसी का अभ्यर्पण किए जाने की स्थिति में, अभ्यर्पण की तिथि पर लागू अनुसार निहित बोनस का अभ्यर्पण मूल्य, यदि कोई हो, देय होगा।

ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत उस वर्ष में अंतिम अतिरिक्त बोनस भी घोषित किया जा सकता है, जब पॉलिसी के परिणामस्वरूप मृत्यु दावा या परिपक्वता के आधार पर दावा हो, जो ऐसी दरों और शर्तों पर होगा, जैसा कि निगम द्वारा घोषित किया जा सकता है। चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत अंतिम अतिरिक्त बोनस देय नहीं होगा।

बीमांकिक जांच से प्राप्त अधिशेष राशि में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन, एलआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

3. उपलब्ध विकल्प:

ए) विद्यमानता हितलाभ/भों को स्थगित कराने का विकल्प:

पॉलिसीधारक के पास विद्यमानता हितलाभ/भों को इसकी देय तिथि के बाद, लेकिन पॉलिसी के जारी रहने के दौरान किसी भी समय प्राप्त करने का विकल्प है। पॉलिसीधारक द्वारा देय हितलाभ/भों के स्थगन का विकल्प चुने जाने की स्थिति में, निगम द्वारा बढ़े हुए विद्यमानता हितलाभ/भों का भुगतान किया जाएगा,जो कि विद्यमानता हितलाभ % मूल बीमा राशि (विद्यमानता हितलाभ/भों पर लागू घटक) के समान होगी।

इन घटकों को परिशिष्ट । में संलग्न किया गया है।

इस विकल्प के बारे में पॉलिसीधारक को विद्यमानता हितलाभ की देय तिथि से छः महीने पहले लिखित रूप में पॉलिसी को सेवा प्रदान करने वाली शाखा को सूचित करना होगा।

बी) राइडर हितलाभ:

एलआईसी का प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर (यूआईएन: 512B204V04):

एक प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत, यह राइडर पॉलिसी के प्रस्तावक के जीवन पर पॉलिसी वर्षगाँठ के साथ लेकिन मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर

किसी भी समय चुना जा सकता है, बशर्ते मूल पॉलिसी की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि और राइडर के कम से कम पाँच वर्ष शेष हो। इसके अलावा, इस पॉलिसी के अंतर्गत इस राइडर की अनुमति केवल तभी होगी, जब यह राइडर चुनने के समय पर जीवन बीमित व्यक्ति अवयस्क हो। राइडर की अवधि इस राइडर को चुनते समय (25–अवयस्क बीमित व्यक्ति की उम्र) होनी चाहिए। अगर राइडर की अवधि और प्रस्तावक की उम्र 70 वर्ष से अधिक हो तो राइडर की अनुमति नहीं होगी।

यदि यह राइडर चुना गया है, तो प्रस्तावक की मृत्यु होने पर, मृत्यु होने की तिथि के बाद से लेकर राइडर की अवधि समाप्त होने तक मूल पॉलिसी के अंतर्गत आने वाली प्रीमियमों का भुगतान माफ हो जाएगा।

एलआईसी के प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर के लिए प्रीमियम मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियम के 30% से अधिक नहीं होगा।

इस राइडर से मिलने वाले हितलाभ मूल प्लान के अंतर्गत मूल बीमा राशि से अधिक नहीं होंगे।

उपरोक्त राइडरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, राइडर विवरणिका देखें या एलआईसी के नजदीकी शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

सी) मृत्यु हितलाभ किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प:

यह किसी प्रभावी और साथ ही साथ चुकता पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि लेने के चुनी गई 5 या 10 या 15 वर्ष की अवधि में किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त करने के लिए एक विकल्प है। इस विकल्प का उपयोग जीवन बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान; पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक मृत्यु हितलाभों के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात दावे की निवल राशि,जिसमें स्थगित विद्यमानता हितलाभों के लिए भुगतान, यदि कोई हो, भी शामिल हैं) या तो निश्चित मूल्य में, या फिर कुल देय दावा प्राप्तियों के एक प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

इन किस्तों का भुगतान चयन अनुसार वार्षिक या छमाही या तिमाही या मासिक अंतरालों पर अग्रिम में होगा, जो निम्नानुसार भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए न्यूनतम किस्त राशि के अधीन है:

किस्त भुगतान का प्रकार	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	₹5,000/–
तिमाही	₹15,000/–
छमाही	₹25,000/–
वार्षिक	₹50,000/–

यदि शुद्ध दावा राशि पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक राशि से कम होती है, तो दावा प्राप्तियों का भुगतान केवल एकमुश्त राशि के रूप में ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 माह की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो कि 10 वर्ष अर्द्धवार्षिक G-Sec यील्ड ऋण 2% से कम नहीं होगी; जहाँ 10 वर्ष G-Sec यील्ड पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापारिक दिवस के अनुसार होगी। तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक शुरू होने वाली 12 माह की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना हेतु लागू ब्याज दर 5.07% प्रभावी होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त करने हेतु विकल्प का उपयोग करने के लिए, जीवन बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा या वयस्क होने पर जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा इस विकल्प का उपयोग अपने जीवनकाल के दौरान पॉलिसी के प्रचलित रहते हुए, किस्त भुगतान की अवधि एवं निवल दावा राशि, जिसके लिए उस विकल्प का उपयोग करना है, का उल्लेख करते हुए किया जा सकता है। तब मृत्यु दावा राशि का भुगतान पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा और नामांकित व्यक्ति को इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

डी) निपटान विकल्प परिपक्वता हितलाभ के लिए:

परिपक्वता हितलाभ के प्रति निपटान विकल्प किसी प्रभावी और साथ ही साथ चुकता पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि लेने के बजाय चुनी गई 5 या 10 या 15 वर्ष की अवधि में किस्तों में परिपक्वता लाभ प्राप्त करने के लिए एक विकल्प है। इस विकल्प का उपयोग जीवन बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान; पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक मृत्यु हितलाभों के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात दावे की निवल राशि,जिसमें स्थगित विद्यमानता हितलाभों के लिए भुगतान, यदि कोई हो, भी शामिल हैं) या तो निश्चित मूल्य में, या फिर कुल देय दावा प्राप्तियों के एक प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

इन किस्तों का भुगतान चयन अनुसार वार्षिक या छमाही या तिमाही या मासिक अंतरालों पर अग्रिम में होगा, जो निम्नानुसार भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए न्यूनतम किस्त राशि के अधीन है:

किस्त भुगतान का प्रकार	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	₹5,000/–
तिमाही	₹15,000/–
छमाही	₹25,000/–
वार्षिक	₹50,000/–

यदि निवल दावा राशि पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक राशि से कम होती है, तो दावा प्राप्तियों का भुगतान केवल एकमुश्त राशि के रूप में ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 माह की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो कि 10 वर्ष अर्द्धवार्षिक G-Sec यील्ड ऋण 2% से कम नहीं होगी; जहाँ 10 वर्ष G-Sec यील्ड पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापारिक दिवस के अनुसार होगी। तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक शुरू होने वाली 12 माह की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना हेतु लागू ब्याज दर 5.07% प्रभावी होगी।

परिपक्वता हितलाभ के प्रति निपटान विकल्प का उपयोग करने के लिए, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति को परिपक्वता की नियत तिथि से कम से कम 3 माह पहले किस्तों में निवल दावा राशि के भुगतान हेतु इस विकल्प का उपयोग करना होगा।

प्रथम भुगतान परिपक्वता की तिथि पर किया जाएगा और उसके बाद पॉलिसीधारक द्वारा चयनित किस्त भुगतान की विधि के आधार पर परिपक्वता की तिथि से प्रत्येक

माह या तीन माह या छः माह या वर्ष पर, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा।

निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतानों के प्रारंभ होने के बाद:

ए. यदि कोई बीमित व्यक्ति, जिसने परिपक्वता हितलाभ के प्रति निपटान विकल्प का उपयोग किया है, इस विकल्प को वापस करना चाहता है और बकाया किस्तों को रूपांतरित करना चाहता है, तो बीमित व्यक्ति से लिखित अनुरोध मिलने पर ऐसा करने की अनुमति होगी। ऐसे मामले में, निम्नांकित में से जो भी अधिक होगी, उस राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी,

- सभी भविष्य की बकाया किस्तों का रियायती मूल्य; या
- (वह मूल राशि जिसके लिए निपटान विकल्प का उपयोग किया गया था) में से (पहले से भुगतान की जा चुकी कुल किस्तों की राशि) घटाकर;

बी. वह लागू ब्याज दर, जिसका उपयोग भविष्य की किस्त भुगतानों की छूट हेतु किया जाएगा, वार्षिक प्रभावी दर होगी जो कि 10 वर्ष अर्द्धवार्षिक G-Sec यील्ड से अधिक नहीं होगी; जहाँ 10 वर्ष अर्द्धवार्षिक G-Sec यील्ड उस पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापारिक दिवस के अनुसार होगी, जिसके दौरान निपटान विकल्प प्रारंभ हुआ था। तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक 12 महीनों की अवधि के दौरान शुरू किए गए सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भविष्य की किस्तों में छूट के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लागू ब्याज दर 7.07% प्रतिवर्ष प्रभावी होगी।

सी. परिपक्वता की तिथि के बाद, बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, जिसने निपटान विकल्प का उपयोग किया था, बीमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को बकाया किस्तों का भुगतान जारी रहेगा और नामांकित व्यक्ति को इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

4. प्रीमियमों का भुगतान:

प्रीमियमों का भुगतान नियमित रूप से वार्षिक, अर्द्ध–वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक अंतरालों में (केवल एनएसीएच या पॉलिसी अवधि के दौरान वेतन से कटौती (एसएसएस) के ज़रिए) किया जा सकता है।

5. अनुग्रह अवधि:

भुगतान न हुई पहली प्रीमियम की तिथि से मासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 15 दिन तथा वार्षिक या छमाही या तिमाही प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिन की एक अनुग्रह अवधि होगी। इस अवधि के दौरान, इस पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, यह पॉलिसी बिना किसी रुकावट के, जोखिम बीमा–सुरक्षा के साथ प्रभावी मानी जाएगी। यदि अनुग्रह अवधि के दिन पूरे होने से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपरोक्त अनुग्रह अवधि उन राइडर प्रीमियमों के लिए भी लागू होगी, जो मूल पॉलिसी की प्रीमियम के साथ देय हैं।

6. नमूने के लिए उदाहरणार्थ प्रीमियम:

मानक जीवन के लिए ₹2 लाख की मूल बीमाकृत राशि के लिए नमूने की उदाहरणार्थ वार्षिक प्रीमियम निम्नानुसार है:

उम्र (वर्षों में)	प्रीमियम (₹ में)
0	9,006
5	11,682

10	16,395
12	19,002

उपरोक्त प्रिमियम कर कटौती योग्य है।

7. छूट :

विधि छूट:

वार्षिक विधि	– सारणीबद्ध प्रीमियम का 2%
अर्द्ध–वार्षिक विधि	– सारणीबद्ध प्रीमियम का 1%
त्रैमासिक, मासिक (एनएसीएच या एसएसएस) विधि	– शून्य

उच्च बीमाकृत राशि छूट (प्रीमियम पर):

मूल बीमाकृत राशि (बी.एस.ए.) (₹)	छूट (₹)
2,00,000 से 5,00,000 से कम	शून्य
5,00,000 से 10,00,000 से कम	2.50 प्रति हजार बी.एस.ए.
10,00,000 और उससे अधिक	4.00 प्रति हजार बी.एस.ए.

8. पुनर्चलन:

यदि प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह के दिनों के समापन के पहले नहीं किया जाता है तो इससे पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। किसी कालातीत पॉलिसी को भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से 5 क्रमागत वर्षों की अवधि के भीतर पुनर्चलित करवाया जा सकता है। यह पुनर्चलन समय–समय पर निगम द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली दरों पर ब्याज (चक्रवृद्धि अर्द्ध–वार्षिक) के साथ प्रीमियम(मों) की समस्त बकाया राशियों के भुगतान पर एवं जीवन बीमित व्यक्ति और/या प्रस्तावक (यदि एलआईसी के प्रीमियम छूट हितलाभ राइडर को चुना गया हो) की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि होने पर प्रभावी होगा, और यह संतुष्टि उन जानकारियों, प्रलेखों और प्रतिवेदनों के आधार पर होगी, जो पहले से ही उपलब्ध हैं और इस संबंध में ऐसी किन्हीं अतिरिक्त जानकारियों के आधार पर होगी, जो पुनर्चलन के समय पर निगम की जोखिमांकन नीति के अनुसार आवश्यक हो सकती हैं और जिन्हें पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा प्रदान किया जाता है।

बंद हो चुकी पॉलिसी के पुनर्चलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, परिवर्तित शर्तों पर स्वीकार करने, या फिर इसे अस्वीकार करने का अधिकार निगम द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। किसी बंद हो चुकी पॉलिसी का पुनर्चलन केवल तभी प्रभावी होगा, जब इसे निगम द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकृत कर दिया जाता है और उसके द्वारा पुनर्चलन की पावती जारी कर दी जाती है।

1 मई से 30 अप्रैल की प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए इस योजना के अंतर्गत पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज की दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापारिक दिवस के अनुसार 10 वर्ष G-Sec यील्ड प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्द्ध–वार्षिक में 3% जोड़कर या निगम के नॉन–लिंक्ड फंड की आमदनी में 1% जोड़कर, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक शुरू होने वाली 12 माह की अवधि के लिए लागू ब्याज दर 9.50% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि अर्द्ध–वार्षिक होगी।

पॉलिसी पुनर्चलन के लिए ब्याज दर के निर्धारण हेतु आधार परिवर्तन के अधीन है।

राइडर(रों), यदि उन्हें चुना गया हो, का पुनर्चलन मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही माना जाएगा, अलग से नहीं।

9. चुकता पॉलिसी:

यदि एक वर्ष से कम प्रीमियम का भुगतान किया गया है, और किसी भी अनुवर्ती प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद स्थगित हो जाएँगे और कुछ भी देय नहीं होगा।

यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किया गया है और किसी भी अनुवर्ती प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी पूर्णतः शून्य नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि के अंत तक प्रदत्त पॉलिसी के रूप में जारी रहेगी।

प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत **"मृत्यु पर बीमाकृत राशि"** मृत्यु प्रदत्त **बीमाकृत राशि** नामक ऐसी एक राशि तक कम हो जाएगी और वह **मृत्यु पर बीमाकृत राशि** के बराबर होगी जो उस कुल अवधि के अनुपात के गुणक में होगी, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, उस अधिकतम अवधि के लिए, जिसके लिए प्रीमियमें मूल रूप से देय थीं।

जीवन बीमित व्यक्ति की पूर्व मृत्यु पर मृत्यु प्रदत्त बीमाकृत राशि के अतिरिक्त, निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, भी देय होगा। यह मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा।

हालांकि, अवयस्क व्यक्ति के मामले में, जहां पॉलिसी जोखिम के शुरू होने से पहले चुकता हो जाती है, ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ कुल अदा किए गए प्रीमियम्स (टैक्स, अंडरराइटिंग फैसलों के कारण पॉलिसी के अंतर्गत लिए जाने वाली अन्य किसी राशि तथा राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, को छोड़कर) को बिना किसी ब्याज लौटा दिया जाएगा।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत **परिपक्वता पर बीमा राशि** घटकर एक ऐसी राशि हो जाएगी जिसे **"परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि"** कहा गया है और वह पर [(**परिपक्वता पर बीमा राशि** पॉलिसी के अंतर्गत देय विद्यमानता हितलाभों की कुल राशि) उस कुल अवधि के अनुपात से गुणा किया जाएगा, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, उस अधिकतम अवधि के लिए, जिसके लिए प्रीमियम्स मूल रूप से देय थीं, के बराबर होगी।]

पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर, चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता हितलाभ, परिपक्वता चुकता बीमा राशि के साथ निहित सरल प्रत्यावर्ती बोनस, यदि कोई हो, में से पहले भुगतान किए जा चुके विद्यमानता हितलाभों की कुल राशि को घटाकर (स्थगित किए गए विद्यमानता हितलाभों सहित) के समान राशि होगी।

विद्यमानता हितलाभों को चूंकि **परिपक्वता चुकता बीमा राशि** की गणना में पहले ही शामिल कर लिया गया है, अतः भविष्य में विद्यमानता हितलाभों को अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।

लेकिन, अगर विद्यमानता हितलाभ/भों को स्थगित करने के विकल्प पर अमल किया गया है और एसे विद्यमानता हितलाभ/भों का भुगतान देय तो था, लेकिन किया नहीं गया है, तो उपरोक्त अनुच्छेद 3 (ए) में बढ़े हुए विद्यमानता हितलाभ/भों भी मृत्यु या परिपक्वता या समर्पण के रूप में पॉलिसी की समाप्ति पर देय होंगे।

पॉलिसी भविष्य के मुनाफों में प्रतिभागिता करने की पात्र नहीं होगी। लेकिन निहित प्रत्यावर्ती बोनस भुगतान की गई पॉसिली से जुड़े रहेंगे।

चुकता पॉलिसी के मामले में, कोई भी भविष्य का विद्यमानता हितलाभ देय नहीं होगा।

यदि पॉलिसी कालातीत स्थिति में होती है तो राइडर कोई भी भुगतान मूल्य तथा राइडरों के हितलाभ लागू होना स्थगित हो जाते हैं।

10. अभ्यर्पण:

पॉलिसी का पहला वर्ष पूरा होने के बाद अभ्यर्पण किया जा सकता है, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। हालांकि, पॉलिसी कम से कम दो पूरे वर्षों की प्रीमियम का भुगतान करने पर निश्चित अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करेगी और पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद विशेष अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करेगी, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।

चालू या चुकता पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम निश्चित अभ्यर्पण मूल्य और विशेष अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक हो, उसके बराबर अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करेगा।

पॉलिसी अवधि के दौरान निश्चित अभ्यर्पण मूल्य भुगतान की गई कुल प्रीमियमों (किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम, कर, यदि स्पष्ट रूप से लिया गया हो और राइडर(रों) के लिए प्रीमियम, यदि इसे चुना गया हो, को छोड़कर) के बराबर गुणित भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के लिए लागू निश्चित अभ्यर्पण मूल्य कारक, होगा और तब पॉलिसी के अंतर्गत पहले ही अदा किए गए किन्हीं विद्यमानता हितलाभों के कारण घटी हुई (जिसमें स्थगित किए गए विद्यमानता हितलाभ भी शामिल हैं)।

प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त ये निश्चित अभ्यर्पण मूल्य कारक पॉलिसी अवधि और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर होंगे, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है और नीचे दिए गए अनुसार निर्दिष्ट हैं:

Guaranteed Surrender Value Factors Applicable to Total Premiums Paid (In percentage)													
	Policy Term in years--->												
Policy Year	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	56.00%	55.00%	54.29%	53.75%	53.33%	53.00%	52.73%	52.50%	52.31%	52.14%	52.00%	51.88%	51.76%
9	62.00%	60.00%	58.57%	57.50%	56.67%	56.00%	55.45%	55.00%	54.62%	54.29%	54.00%	53.75%	53.53%
10	68.00%	65.00%	62.86%	61.25%	60.00%	59.00%	58.18%	57.50%	56.92%	56.43%	56.00%	55.63%	55.29%
11	74.00%	70.00%	67.14%	65.00%	63.33%	62.00%	60.91%	60.00%	59.23%	58.57%	58.00%	57.50%	57.06%
12	90.00%	75.00%	71.43%	68.75%	66.67%	65.00%	63.64%	62.50%	61.54%	60.71%	60.00%	59.38%	58.82%
13	90.00%	90.00%	75.71%	72.50%	70.00%	68.00%	66.36%	65.00%	63.85%	62.86%	62.00%	61.25%	60.59%
14		90.00%	90.00%	76.25%	73.33%	71.00%	69.09%	67.50%	66.15%	65.00%	64.00%	63.13%	62.35%
15			90.00%	90.00%	76.67%	74.00%	71.82%	70.00%	68.46%	67.14%	66.00%	65.00%	64.12%
16				90.00%	90.00%	77.00%	74.55%	72.50%	70.77%	69.29%	68.00%	66.88%	65.88%
17					90.00%	90.00%	77.27%	75.00%	73.08%	71.43%	70.00%	68.75%	67.65%
18						90.00%	90.00%	77.50%	75.38%	73.57%	72.00%	70.63%	69.41%
19							90.00%	90.00%	77.69%	75.71%	74.00%	72.50%	71.18%
20								90.00%	90.00%	77.86%	76.00%	74.38%	72.94%
21									90.00%	90.00%	78.00%	76.25%	74.71%
22										90.00%	90.00%	78.13%	76.47%
23											90.00%	90.00%	78.24%
24												90.00%	90.00%
25													90.00%

इसके अलावा, निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस का अभ्यर्पण मूल्य, यदि कोई हो, भी देय होगा, जो निहित बोनस गुणित निहित बोनस पर लागू निश्चित अभ्यर्पण मूल्य कारक के बराबर है। ये निश्चित अभ्यर्पण मूल्य कारक पॉलिसी अवधि और पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगे जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पण की जाती है और नीचे दिए गए अनुसार निर्दिष्ट हैं:

Guaranteed Surrender Value Factors Applicable to Vested Bonuses (In percentage)													
	Policy Term in years—>												
Policy Year	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%
4	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%
5	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%
6	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%
7	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%
8	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%
9	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%
10	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%
11	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%
12	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%
13	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%
14		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%
15			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%
16				35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%
17					35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%
18						35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%
19							35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%
20								35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%
21									35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%
22										35.00%	30.00%	27.06%	25.05%
23											35.00%	30.00%	27.06%
24												35.00%	30.00%
25													35.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य की समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई मुख्य परिपत्र, संदर्भ: IRDAI/ACTL/MSTCIR/MISC/89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए अन्य आगामी परिपत्रों के अनुरूप वार्षिक रूप से की जाएगी।

लेकिन, अगर विद्यमानता हितलाभ/भों को स्थगित करने के विकल्प पर अमल किया गया है और एसे विद्यमानता हितलाभ/भों का भुगतान देय तो था, लेकिन किया नहीं गया है, तो इन बढ़े हुए विद्यमानता हितलाभ/भों का भुगतान भी उपरोक्त अनुच्छेद 3 (ए) के अनुसार किया जाएगा।

यदि कोई राइडर है तो उस पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करने पर पॉलिसी समाप्त हो जाएगी तथा आगे कोई हितलाभ देय नहीं होगा।

11. पॉलिसी ऋण:

निम्नलिखित के अधीन, पॉलिसी अवधि के दौरान अभ्यर्पण मूल्य के भीतर ऋण उपलब्ध होगा:

i. प्रथम पॉलिसी वर्ष पूरा होने के बाद पॉलिसी के अंतर्गत ऋण का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।

ii. पॉलिसी के अंतर्गत, अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में, अधिकतम ऋण निम्नानुसार होगा:

पॉलिसी की स्थिति	दो पूर्ण वर्ष की प्रीमियम के भुगतान से पहले	दो पूर्ण वर्ष की प्रीमियम के भुगतान के बाद
चालू पॉलिसियों के अंतर्गत	50%	75%
चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत	40%	65%

iii. 1 मई से 30 अप्रैल की 12 माह की प्रत्येक अवधि के लिए इस पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले ऋण हेतु पूर्ण ऋण अवधि के लिए लागू ऋण ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम व्यापारिक तिथि के अनुसार 10 वर्ष G-Sec यील्ड प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्द्ध–वार्षिक में 3% जोड़कर या निगम के नॉन–लिंक्ड फंड की आमदनी में 1% जोड़कर, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक शुरू होने वाली 12 माह की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए ऋण की पूर्णावधि हेतु लागू ब्याज दर 9.5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि अर्द्ध–वार्षिक होगी। पॉलिसी ऋण के लिए ब्याज दर के निर्धारण हेतु आधार परिवर्तन के अधीन हैं।

iv. पॉलिसी अवधि के दौरान, देय तिथियों पर ब्याज भुगतान में चूक होने की स्थिति में और ब्याज सहित बकाया ऋण की राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाने पर, निगम ऐसी पॉलिसियों का समय से पूर्व समापन करने का अधिकारी होगा। पूर्वसमापन किए जाने पर ऐसी पॉलिसियाँ अभ्यर्पण मूल्य और ब्याज के साथ ब्याज ऋण की बकाया राशि के अंतर, यदि कोई हो, के भुगतान की अधिकारी होंगी।

v. पॉलिसी से बाहर निकलते समय दावे की राशि से किसी बकाया ऋण की ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

12. कुछ घटनाओं में जब्ती:

यदि पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी दबाई गई है, तो, और ऐसी प्रत्येक स्थिति में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

13. पॉलिसी की समाप्ति:

निम्नलिखित में से कोई भी घटना सबसे पहले घटित होने पर पॉलिसी तुरंत और स्वचलित रूप से समाप्त हो जाएगी:

ए. जिस तिथि को एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या

बी. जिस तिथि को पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभों का निपटान किया जाता है; या

सी. यदि निपटान विकल्प का प्रयोग नहीं या जाता है, तो परिपक्वता की तिथि पर; या

डी. निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्तों के भुगतान पर; या

ई. अनुच्छेद 11 में निर्दिष्टानुसार ऋण के ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में; या

एफ. पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर, यदि चुकता पॉलिसी का दर्जा प्राप्त नहीं पॉलिसी को पुनर्चलन की अवधि के भीतर पुनर्चलित नहीं किया गया है;

जी. मुक्त अवलोकन निरसन राशि के भुगतान पर; या

एच. उपरोक्त अनुच्छेद 12 में निर्दिष्टानुसार जब्ती की स्थिति में।

14. कर:

भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर आरोपित वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी।

प्रीमियमों पर पॉलिसीधारक द्वारा प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि, मूल प्लान और राइडरों के लिए, यदि कोई हो, अतिरिक्त प्रीमियम सहित, यदि कोई हो, देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अतिरिक्त अलग से वसूल किया जाएगा। भुगतान किए गए कर की राशि को योजना के अंतर्गत देय किसी भी लाभ की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

आयकर लाभों/भुगतान की गई प्रीमियम(मों) पर निहितार्थों एवं इस योजना के अंतर्गत देय लाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

15. मुफ्त अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के "नियमों व शर्तों" से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी

दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्त होने, जो भी पहले हो, की तिथि से 30 दिनों के भीतर आपत्तियो के कारण बताते हुए निगम को पॉलिसी वापिस कि जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर, निगम द्वारा पॉलिसी विरस्त कर दी जाएगी और बीमा सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल योजना व राइडर, यदि कोई है), चिकित्सीय परीक्षण, (विशेष रिपोटो सहित, यदि कोई हो) पर हुए व्ययो और स्टम्प शुल्क प्रकारो की कटौती करने के बाद जमा की गई प्रीमियम की राशि वापस लौटा दी जाएगी।

16. अपवर्जन :

आत्महत्या:

i. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम के शुरू होने की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो बीमित व्यक्ति का नामित व्यक्ति या लाभार्थी कुल अदा किए गए प्रीमियम्स में से मृत्यु की तिथि तक आने वाली राशि का 80% पाने का पात्र होगा, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो। यदि बीमित व्यक्ति की प्रवेश आयु 8 वर्ष से कम है, तो यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा।

ii. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) पुनर्चलन की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के 80% या मृत्यु की तिथि पर उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक होगा, देय होगा। नामिति एवं बीमित व्यक्ति के लाभार्थी इस पॉलिसी के अंतर्गत अन्य कोई दावा करने के हकदार नहीं होंगे। यह अनुच्छेद इन स्थितियों में लागू नहीं होगा:

ए) यदि पुनर्चलन के समय बीमित व्यक्ति की उम्र 8 वर्ष से कम है; या

बी) ऐसी पॉलिसी के लिए जो चुकता मूल्य प्राप्त किए बिना ही कालातीत हो गई हो और ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

टिप्पणी: उपरोक्त संदर्भित प्रीमियमों में कोई भी कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम यदि कोई हो, के अलावा कोई भी अन्य हितलाभ प्रीमियम(में) शामिल नहीं हैं।

17. हितलाभ उदाहरण:

वितरण चैनल:	ऑफ़लाइन
संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक का नाम:	
उम्र:	
बीमित व्यक्ति का नाम:	
उम्र:	5
पॉलिसी अवधि:	20
प्रीमियम भुगतान की अवधि:	20
किस्त प्रीमियम की राशि:	11682.00
प्रीमियम भुगतान की विधी:	वार्षिक

(मूल योजना के लिए किस्त प्रीमियम)

यह हितलाभ संबंधी दृष्टांत किस प्रकार पढ़ा और समझा जाना चाहिए?

इस हितलाभ संबंधी दृष्टांत का उद्देश्य ब्याज की दो अनुमानित दरों, अर्थात 8% प्रति वर्ष और 4% प्रति वर्ष की दर से पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियमों और हितलाभों को वर्ष-वार दर्शाना है।

कुछ हितलाभ गारंटीकृत हैं और कुछ हितलाभ जीवन बीमा का व्यवसाय करने वाले आपके बीमाकर्ता के भविष्य के निष्पादन के आधार पर प्रतिफल के साथ परिवर्तनीय हैं। यदि आपकी पॉलिसी गारंटीकृत हितलाभ प्रदान करती है, तो इन्हें इस पृष्ठ पर दृष्टांत

पॉलिसी संबंधी विवरण			
		मूल बीमा राशि ₹	200000
बोनस का प्रकार	सरल प्रत्यावर्तनीय और अंतिम अतिरिक्त बोनस	मृत्यु पर बीमा राशि (पॉलिसी की शुरुआत में) 1 ₹	200000

पॉलिसी वर्ष (वर्ष का अंत)	वार्षिक 3 प्रीमियम (संचयी)	गारंटीकृत लाभ				4% प्रति वर्ष की दर गारंटीकृत नहीं हितलाभ			
		विद्यमानता हितलाभ	गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य	मृत्यु हितलाभ	परिपक्वता हितलाभ	“प्रत्यावर्तनीय बोनस”	"कुल गारंटीकृत अभ्यर्पण लाभ4"	विशेष अभ्यर्पण मूल्य4	अभ्यर्पण हितलाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11682	0	0	11682	0	1400	0	2478	2478
2	23364	0	7009	23364	0	2800	7009	5333	7009
3	35046	0	12266	200000	0	4200	12947	9784	12947
4	46728	0	23364	200000	0	5600	24292	14041	24292
5	58410	0	29205	200000	0	7000	30397	18895	30397
6	70092	0	35046	200000	0	8400	36523	24406	36523
7	81774	0	40887	200000	0	9800	42610	30644	42610
8	93456	0	49064	200000	0	11200	51042	37684	51042
9	105138	0	57826	200000	0	12600	60075	45626	60075
10	116820	0	67172	200000	0	14000	69714	54549	69714
11	128502	0	77101	200000	0	15400	79965	64569	79965
12	140184	0	87615	200000	0	16800	90837	75814	90837
13	151866	40000	98713	200000	0	18200	102340	88386	102340
14	163548	0	70395	200000	0	19600	74482	62447	74482
15	175230	40000	82661	200000	0	21000	87279	78161	87279
16	186912	0	55511	200000	0	22400	60748	55687	60748
17	198594	40000	68946	200000	0	23800	74908	75214	75214
18	210276	0	42964	200000	0	25200	49783	56944	56944
19	221958	0	79762	200000	0	26600	87742	81135	87742
20	233640	0	90276	200000	80000	28000	100076	108000	108000

प्रस्ताव संख्या:	
उत्पाद का नाम:	एलआईसी का न्यू चिल्ड्रेन्स मनी बैक प्लान
टैग लाइन:	एक सममूल्य, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत बचत योजना
विशिष्ट पहचान संख्या:	512N296V03
जीएसटी की दर (प्रथम वर्ष):	4.5%
जीएसटी की दर (द्वितीय वर्ष से):	2.25%

ध्यान रखें: जीएसटी की दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी।

तालिका में स्पष्ट रूप से “गारंटीकृत” के रूप में अंकित किया जाएगा। यदि आपकी पॉलिसी परिवर्तनीय हितलाभ प्रदान करती है, तो इस पृष्ठ पर दृष्टांत में 8% प्रति वर्ष और 4% प्रति वर्ष के अनुमानित भविष्य के निवेश प्रतिफल की दो अलग-अलग दरें दर्शाई जाएँगी। प्रतिफल की ये अनुमानित दरें गारंटीकृत नहीं हैं और आपको जो वापस मिल सकती हैं उसकी ऊपरी या निचली सीमा नहीं हैं, क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य भविष्य में निवेश के निष्पादन सहित कई कारकों पर निर्भर करेगा।

प्रीमियम का सारांश			
	मूल योजना	राइडर 2	कुल किस्त प्रीमियम
जीएसटी के बिना किस्त प्रीमियम	**11682.00**		**11682.00**
पहले वर्ष की जीएसटी के साथ किस्त प्रीमियम	**12208.00**		**12208.00**
दूसरे वर्ष से जीएसटी के साथ किस्त प्रीमियम	**11944.85**		**11944.85**

(राशि रुपए में)

8% प्रति वर्ष की दर गारंटीकृत नहीं हितलाभ				कुल हितलाभ			
				परिपक्वता हितलाभ		मृत्यु हितलाभ 5	
“प्रत्यावर्तनीय बोनस”	“कुल गारंटीकृत अभ्यर्पण हितलाभ 4”	विशेष अभ्यर्पण मूल्य4	अभ्यर्पण हितलाभ	"परिपक्वता हितलाभ, 4% की दर से अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो (6+7+ एफएबी)"	“परिपक्वता हितलाभ, 8% की दर से अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो (6+11+ एफएबी)”	"कुल मृत्यु हितलाभ, 4% की दर से अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो (5+7+ एफएबी)"	“कुल मृत्यु हितलाभ, 8% की दर से अंतिम अतिरिक्त बोनस, यदि कोई हो (5+11+ एफएबी)”
11	12	13	14	15	16	17	18
5600	0	2478	2478	0	0	11682	11682
11200	7009	5333	7009	0	0	23364	23364
16800	14991	13389	14991	0	0	204200	216800
22400	27078	19213	27078	0	0	205600	222400
28000	33973	25857	33973	0	0	207000	228000
33600	40953	33396	40953	0	0	208400	233600
39200	47778	41933	47778	0	0	209800	239200
44800	56976	51568	56976	0	0	211200	244800
50400	66822	62436	66822	0	0	212600	250400
56000	77342	74646	77342	0	0	214000	256000
61600	88559	88357	88559	0	0	215400	261600
67200	100504	103746	103746	0	0	216800	267200
72800	113222	120950	120950	0	0	218200	272800
78400	86741	100190	100190	0	0	219600	278400
84000	101133	121694	121694	0	0	221000	285000
89600	76459	105678	105678	0	0	222400	290600
95200	92794	132399	132399	0	0	223800	297200
100800	70240	122133	122133	0	0	225200	303800
106400	111682	155237	155237	0	0	233056	310400
112000	129476	197000	197000	108000	197000	245322	317000

टिप्पणियाँ:

इस दृष्टांत का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादों की विशेषताएँ और कुछ स्तर तक परिमाणीकरण के साथ विभिन्न परिस्थितियों में लाभ का प्रवाह पहचान पाएँ।

यह दृष्टांत एक मानक (चिकित्सीय, जीवन शैली और व्यवसायिक दृष्टि से) जीवन पर लागू होता है।

1. यदि बीमित व्यक्ति की उम्र 8 वर्ष से कम है, तो जोखिम कवर पॉलिसी शुरू होने की तिथि से 2 वर्ष पूरे होने या 8 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद, जो भी पहले हो, शुरू होगा।

   जोखिम शुरू होने से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, अंडरराइटिंग अतिरिक्त प्रीमियम, राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, तथा माल एवं सेवा कर को छोड़कर भुगतान किए गए कुल प्रीमियम के बराबर राशि देय होगी।"

2. इसमें पॉलिसी आरंभ होने पर प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए सभी राइडर(रों के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।

3. वार्षिक प्रीमियम में बीमांकिक अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर लोडिंग की आवृत्ति, राइडरों के प्रति भुगतान की गई प्रीमियम, यदि कोई हो, और वस्तु और सेवा कर शामिल नहीं हैं। इस दृष्टांत में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या के लिए विक्रय साहित्य देखें।

4. अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से उच्चतर होगा। विशेष अभ्यर्पण मूल्य की आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर प्रधान परिपत्र देखें: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एम एसटीसीआईआर/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांकित 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किन्हीं अनुवर्ती परिपत्रों के अनुरूप समीक्षा की जाएगी। अभ्यर्पण मूल्य की गणना के लिए, यह माना गया है कि वार्षिक मूल्यांकन परिणामों की शर्तों और नियमों के अनुसार रीति से इस उत्पाद के अंतर्गत निगम के अनुभव के आधार पर बोनस घोषित किए जाने पर निहित हो जाएँगे।

5. किसी भी स्थिति में पॉलिसी अवधि के दौरान कुल मृत्यु हितलाभ कुल भुगतान की गई प्रीमियम (जीएसटी, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, को छोड़कर) के 105% से कम नहीं होगा।

   लेकिन, जोखिम के आरंभ होने से पहले 8 वर्ष से कम उम्र के अवयस्क के मामले में, देय मृत्यु हितलाभ अदा किए गए कुल प्रीमियमों (जीएसटी, अतिरिक्त प्रीमियम तथा राइडर प्रीमियम्स, यदि कोई हो) की कुल राशि को लौटाए जाने के समान होगी।"

   - बीमांकिक जाँच से उत्पन्न होने वाले अधिशेष में से पॉलिसीधारकों को वास्तविक आवंटन केंद्र सरकार द्वारा एलआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा।

18. शिकायत निवारण प्रणाली:

निगम की:

ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय में शिकायत समाधान अधिकारी (जीआरओ) हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क संबंधी विवरणों और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (**https://licindia.in/web/guest/grievances**) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायत का शीघ्र समाधान करने के लिए निगम ने अपने कस्टमर पोर्टल (वेबसाइट) **http://www.licindia.in** के माध्यम से ग्राहकोन्मुखी

एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से पंजीकृत पॉलिसी धारक अपनी शिकायत को सीधे दर्ज करवा सकते हैं तथा उसकी स्थिति को देख भी सकते हैं। ग्राहक अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए ई–मेल आईडी **co_complaints@ licindia.com** पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

मृत्युगत दावों की अस्वीकृति के निर्णय से असंतुष्ट दावाकर्ताओं के पास, अपने मामलों के पुनरीक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परिवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा परिवाद निवारण समिति के पास ले जाने का विकल्प है। उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीएआई की:

यदि ग्राहक जवाब से संतुष्ट नहीं है या 15 दिनों के भीतर हमसे कोई जवाब नहीं मिलने पर ग्राहक द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क किया जा सकता है:

i) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीएआई के शिकायत कॉल सेन्टर–(बीमा भरोसा या शिकायत निवारण केंद्र)) कॉल करके

ii) **complaints@irdai.gov.in** पर ई–मेल प्रेषित करके

iii) **https://bimabharosa.irdai.gov.in** पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके

iv) कूरियर/पत्र के जरिए शिकायत भेजने का पता:

महाप्रबंधक, पॉलिसीधारकों की सुरक्षा और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, सर्वे संख्या – 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, गाची बावली, हैदराबाद 500032, तेलंगाना।

लोकपाल की:

दावा संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए, दावाकर्ता बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जहाँ ग्राहकों को कम से कम लागत में त्वरित निर्णय मिलता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

(1) पॉलिसी की तिथि, यानी पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी पर राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के पश्चात जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(2) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के भीतर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है।

बशर्ते, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को ऐसे आधारों एवं तथ्यों की लिखित सूचना देनी होगी, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण ।– इस उप–धारा के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति "धोखाधड़ी" से आशय बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु प्रभावित करने की मंशा से निम्नांकित में से कोई भी कृत्य किया जाता है:-

(ए) सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी) उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, और उसे ऐसे तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

(सी) धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

(डी) ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

स्पष्टीकरण ।।– बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का यह कर्तव्य है, बोलने से चुप रहना, या अन्यथा उसकी खामोशी, अपने आप में बोलने के बराबर न हो।

(3) उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखाधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमित व्यक्ति/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जान–बूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते धोखाधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा की अनुबन्ध का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है, उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी करने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था:

बशर्ते बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह निर्णय लिया गया है।

बशर्ते महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखाधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा की गई सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितियों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमित व्यक्ति को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

(5) इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण माँगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी पर केवल

इसलिए प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

अनुलग्नक – 1

एलआईसी का न्यू चिल्ड्रेन्स मनी बैक प्लान (प्लान नं:732)

आस्थगित विद्यमानता हितलाभ राशि पर लागू हो सकने वाले घटक

n	Factor	n	Factor
1	1.0045	43	1.1935
2	1.0090	44	1.1980
3	1.0135	45	1.2025
4	1.0180	46	1.2070
5	1.0225	47	1.2115
6	1.0270	48	1.2160
7	1.0315	49	1.2205
8	1.0360	50	1.2250
9	1.0405	51	1.2295
10	1.0450	52	1.2340
11	1.0495	53	1.2385
12	1.0540	54	1.2430
13	1.0585	55	1.2475
14	1.0630	56	1.2520
15	1.0675	57	1.2565
16	1.0720	58	1.2610
17	1.0765	59	1.2655
18	1.0810	60	1.2700
19	1.0855	61	1.2745
20	1.0900	62	1.2790
21	1.0945	63	1.2835
22	1.0990	64	1.2880
23	1.1035	65	1.2925
24	1.1080	66	1.2970
25	1.1125	67	1.3015
26	1.1170	68	1.3060
27	1.1215	69	1.3105
28	1.1260	70	1.3150
29	1.1305	71	1.3195
30	1.1350	72	1.3240
31	1.1395	73	1.3285
32	1.1440	74	1.3330
33	1.1485	75	1.3375
34	1.1530	76	1.3420
35	1.1575	77	1.3465
36	1.1620	78	1.3510
37	1.1665	79	1.3555
38	1.1710	80	1.3600
39	1.1755	81	1.3645
40	1.1800	82	1.3690
41	1.1845	83	1.3735
42	1.1890	84	1.3780

जहां “n” विद्यमानता हितलाभ की देय तिथि से विद्यमानता हितलाभ के भुगतान की तिथि तक या परिपक्वता के दिन के पूर्व से पूर्ण महीनों की संख्या है।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 41):

1) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे

में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो।

2) धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति जुर्माने से दण्डित होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू होने वाले, बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएं, समय–समय पर यथा संशोधित रूप से लागू होगी।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही दर्शाती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट **www.licindia.in** पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय पर संपर्क करें।

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें।

आईआरडीएआई या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम्स के निवेश, राशियां लौटाना जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। जिन पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों को ऐसे फ़ोन कॉल्स मिलें, वे कृपया पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें।

भारतीय जीवन बीमा निगम

“भारतीय जीवन बीमा निगम” की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सके। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरतंर एक महत्त्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छः दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

पंजीकृत कार्यालय:

भारतीय जीवन बीमा निगम,

केन्द्रीय कार्यालय,

योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021.

वेबसाइट: www.licindia.in

पंजीकरण संख्या: 512